न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 131/2022

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
कानपुरी पुत्र नारायणपुरी जाति गोस्वामी
निवासी पुलिस कोतवाली के पास
बाड़मेर शहर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रेम प्रजापत, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13.02.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 18.10.2022 को मुखबिर की अवैध गैस रिफिलिंग के संबंध में सूचना पर जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के मौखिक निर्देशानुसार पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर जाप्ता मय प्रार्थी प्रवर्त्तन अधिकारी बाड़मेर, श्री सहीराम प्रवर्त्तन निरीक्षक धोरीमन्ना एवं श्री सुरेश बिश्नोई प्रवर्त्तन निरीक्षक चौहटन पुलिस थाना कोतवाली के पास अप्रार्थी कानपुरी पुत्र नारायणपुरी जाति गोस्वामी निवासी पुलिस थाना कोतवाली के पास स्थित मकान की जाँच हेतु मौके पर पहुँचे। मौके पर अप्रार्थी के मकान की जाँच रूबरू मोतबिरान करने पर कानपुरी पुत्र नारायणपुरी जाति गोस्वामी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम क्षमता इण्डेन मार्का कम्पनी से एसआर संख्या 364171 से 4 किलोग्राम क्षमताके पेट्रोमैक्स (छोटा) सिलेण्डर में निप्पल लगाकर गैस का अवैध रूप से

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रिफिलिंग करना पाया गया। मौके पर 2 घरेलू गैर सिलेण्डर, 1 पेट्रोमैक्स, 3 गैस निप्पल, 2 पाने, 1 छोटा इलेक्ट्रीक काटा जब्त सरकार कर श्री नखत सिंह पुत्र श्री गेमर सिंह, निवासी गांधी नगर, बाड़मेर हाल मैनेजर बाड़मेर गैस एजेन्सी बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल एवं बीपीसीएल) मार्क के एवं पेट्रोमैक्स पाए गए, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है—

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	364176	IOCL	19.100 Kg	17.100 Kg	2.000 Kg
2.	764372	BPCL	15.700 Kg	15.700 Kg	0.000 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 2 घरेलू गैर सिलेण्डर, 1 पेट्रोमैक्स, 3 गैस निप्पल, 2 पाने, 1 छोटा इलेक्ट्रीक कांटा श्री नखत सिंह पुत्र श्री गेमर सिंह, निवासी गांधी नगर, बाड़मेर हाल मैनेजर बाड़मेर गैस एजेन्सी बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं 1 पेट्रोमैक्स, 3 गैस निप्पल, 2 पाने, 1 छोटा इलेक्ट्रीक कांटा राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह किसी भी तरह

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य नहीं करता है मात्र गैस चूल्हों की रिपेयरिंग का कार्य करता हैं। वास्तव में प्रार्थी के दो घरेलू कनेक्शन है जिसके नम्बर क्रमशः 204349 भारत गैस एजेन्सी बाड़मेर का तथा 23321 इण्डेन गैस सर्विस की टंकियां है एवं इसके अलावा शेष तथ्य गलत हैं। प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर ने गलत जांच करते हुए खाली टंकियों को घर पर आकर जब्त किया है जो कि गलत है। लिहाजा उसके विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक बाड़मेर गैस एजेन्सी बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा प्रकट जवाब में अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर मात्र गैस चूल्हों की रिपेयरिंग का कार्य करना बताया हैं जबकि मौके से रिफलिंग हेतु 2 घरेलू गैर सिलेण्डर, 1 पेट्रोमैक्स, 3 गैस निप्पल, 2 पाने, 1 छोटा इलेक्ट्रीक कांटा जब्त किया गया है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये जाने से उपरोक्त दोनो गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
बाड़मेर
जिला कलक्टर, बाड़मेर